


प्रृष्ठ 2 (नियम 11 (4) देखिए)

जिला का अधिकारी
गोपनीय अधिकारी
गोपनीय अधिकारी

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (KATNI), मध्यप्रदेश

द्रव्यभाषा:

फैक्स:

हुंगरी:

उपलब्ध संख्या: 38245277/स्कूल आईडी - 36298

दिनांक: 07/05/2017

प्रबंधक,

(MAHARISHI VIDHYA MANDIR)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्रः
महाद्युय/महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संदर्भ में स्कूल में प्रभातचत्वारी पत्र द्यवाहार विवरण के संदर्भ में निःशुल्क
अधिकार MAHARISHI VIDHYA MANDIR, RAFI AHAMAD KIDAIWAI WARD

THEY COLONY

KATNI को कभी Nursery से कभी 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हैः

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित भारी की पूर्ण के अनुबंधीन होगी।

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कभी 8 से आगे की मान्यता/संवद्धता की कोई बाइयता किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधी का लालन करेगा।
- स्कूल, अपने प्रौद्योगिकी की सीमा के विपरीत नमूने तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 से न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश द्या। उस दृष्टि से, स्कूल पद्धि सहायता प्राप्त करने की उपलब्धता है तो इसमें प्रविष्ट बालकों को उस अनुसार में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा द्या जिससे इसे उसके विषयिक आवश्यकी व्यवहार को प्राप्त करने हातु इस प्रकार प्रारंभिक आवश्यकी सहायता या अनुसार प्राप्त होती है जिससे वह न्यूनतम प्रत्येक प्रविष्ट विद्यार्थी के अनुसार दिया जाता रहता है कि उस स्कूल पर्वत स्कूल पर्वत स्कूल विद्यार्थी की जारी होती है वहाँ भर्तीप्राप्ति के लिए लाये होंगे।
- दैन 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल की अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार दृष्टि के उपर्युक्ती ही जारी होती है जिससे प्रतिपूर्णी पास करने के लिए स्कूल को पृथक् से बंक खाली का उपयोग करना होगा।
- सामाजिकीकूल कोई भी कैफियतेनामी का सहाय नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालना या अधिभावन के संदर्भ में जो भी क्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश द्वारा नहीं करेगा।
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में।
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विद्युत की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा दृष्टि दाया जाया है।
 - (ग) धर्म, जाति या सूझबूझ, अन्मस्तुतान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा से दूर या नियन्त्रित, नहीं होना दिया जाएगा।
 - किसी बालक को प्रारंभिक या अन्मस्तुतान हृषि संवादित नहीं किया जाएगा।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बालक को कोई बाई परिवार उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती।
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंधी के अनुसार नियन्त्रित विद्यार्थी अवश्यकता बालकों को समाहित किया जाएगा।
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन नियन्त्रित न्यूनतम यात्रवता अनुसार शिक्षकों द्वारा जारी दृष्टि के उपर्युक्त से कावरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ से होने पर न्यूनतम अंतिम नहीं रखत है उन्हें अधिनियम के प्रारंभ से के दिनांक से 5 बर्ष की अवधि में नियन्त्रित न्यूनतम अंतिम यात्रवती बालकों होती है।
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के भवीत विनियोग करने की जारी होती है।
 - प्रायवट दीर्घिंग की गतिविधियों ने शिक्षक स्वतन्त्रता नहीं दिया जाती है।
- स्कूल समृद्धि प्राधिकारी द्यारा निर्धारित पाठ्यपद्धति का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विविध विद्युत अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुनिश्चित के अनुसार में उपर्युक्त विद्युतों का उपयोग की जाएगा।

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 से विनियोग स्कूल के मानक एवं सापेदण्ड बताए रखे जाएंगे। अधिनियम के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ विस्तारान्वयन पाई गयीं।

सुविधाएँ

स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	पोटल से दर्ज
स्कूल का कुल ईडफल (वर्ग फीट में)	26203	26203
स्कूल का निश्चित ईडफल (वर्ग फीट में)	11471	11471
खेल घटान का ईडफल (वर्ग फीट में)	14732	14732

पोटल से दर्ज

वास्तविक स्थिति

आधोसंरचना का विवरण

कक्ष	Rooms as per RTE	पोटल से दर्ज	वास्तविक स्थिति
कक्ष आठवीं तक उपर्योग में आ रहे कक्ष कक्ष	11	530	11
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	1	530	1
भ्रात्रीनालय-सह-भण्डार	0	0	0

अन्य सुविधाएँ

कक्ष सभी सुविधाओं तक पहुंच वापा गहित है हाँ/नहीं	हाँ
पठन पाठन सामग्री (हस्तालित सूची अपलोड करें)	हाँ
खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्तालित सूची अपलोड करें)	हाँ
पुस्तकों की संख्या	2450
परिकार-समाचार पत्र	14
पवरजल सुविधा का प्रकार	Tube Well
पवरजल सुविधा की संख्या	6
शोधालय का प्रकार (भारतीय-पर्याप्ती/नहीं)	Both Indian & Western
लड़कों के लिए पृथक शोधालयों की संख्या	6
लड़कियों के लिए पृथक शोधालयों की संख्या	6
विज्ञान वर्षों के लिए उपयुक्त शोधालयों की संख्या	3
कक्ष अभियन्ता सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ

पोटल से दर्ज

वास्तविक स्थिति

- पर्युष नपरीलित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार लैंगार होंगा। पर्युष नपरीलित किए जाएंगे की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- भारतीय व्यूह का मान्यता कोड नम्बर 38245277 एवं डाइस्कोड (DISE) 23380201713 है। इस कार्यालय के साथ पश्चाचार में मह कोड नम्बर नटोर्डेल किए जाएं।
- एसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र-जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नम्बर समय पर अपीलियन की जाएगी। और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के इस अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमीजों को दूर करने के लिए अभ्यास मान्यता की शर्ती की निरन्तर पूरी सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोमाप्ती/न्यास, यदि कोई हो, के पश्चाचार का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्ती सलग्न उपादान 'हीन' के अनुसार होंगी।
- भ्रात्रीनालय एवं नियम के उपबंधी और मान्यता की शर्ती का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर स्थानीय अधिकारी जारी की जाएगी।

भवठीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी

मान्यता